रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 1982/भाद्र 5, 1904

No. 385] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1982/BHADRA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1982

का. आ. 621(अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./82.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 694(अ)/18-एफ बी/आई. डी. आर. ए./80, तारीख 28 अगस्त, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स हिन्दराज फाउन्ड्री एण्ड वर्कस, नागपुर या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

अतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 668(अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./81 तारीख 26 अगस्त, 1981, के अनुसार उपरोक्त आदेश की अवधि 27 अगस्त, 1982 तक बढ़ा दी गई थी। और केन्द्रीय सरकार, का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 22 अगस्त, 1983 तक (जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है) की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 22 अगस्त, 1983 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है बढ़ाती है।

[फा. सं. 2(5) 80-सी. यू. एस.]

आर. के. भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1982

S.O. 621(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 694(E)/18-FB/

IDRA/80, dated the 28th August, 1980, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Shivraj Fine Art Litho Works, Nagpur or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 668(E) 18FB/IDRA/81 dated the 26th August, 1981, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of 27th August, 1982 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of upto and inclusive of 22nd August, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18-FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 22nd August, 1983.

[F. No. 2(15)/80-CUS]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982